न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 13/2019 अपील /बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 21–12–2015
निर्णय दिनांक– 11.04.2019

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्री घनश्याम पिता स्व. श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती धूली पुत्री रतन जी मोड़ पटेल पत्नी श्री जादव जी कलाल निवासी सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती रक्षा पुत्री श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
3. श्री नंदराम पिता न्यालचंद लबाना निवासी बाकड़ा फला पारेड़ी तहसील सीमलवाड़ा
4. श्री पोपटलाल पिता न्यालचंद लबाना निवासी बाकड़ा फला पारेड़ी तहसील सीमलवाड़ा
5. श्रीमती मनहर कुंवर पत्नी घनश्याम राजपूत निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा

..................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :
श्री गिरधारी लाल शर्मा : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1
श्री प्रभूलाल प्रजापत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा
के प्रकरण संख्या 78/2010 निर्णय दिनांक 19–10–2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक– 22.04.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा प्रकरण संख्या 78/2015 निर्णय दिनांक 19.10.2015 के विरूद्ध दिनांक 19.11.2015 को पेश की गई।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पीठ तहसील सीमलवाड़ा की आराजी नम्बर 2656 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 2728 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, अराजी नम्बर 3215 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित होकर उक्त भूमि श्री रतन जी के नाम दर्ज थी, श्री रतन जी द्वारा अपीलान्ट के पिता श्री अमृतलाल को समझौता पत्र के आधार पर गोद रखा एवं श्री रतन जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि श्री अमृतलाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 730 से दर्ज हुई। अमृतलाल द्वारा उक्त भूमि में से 3215 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि रेस्पों. सं. 3 व 4 को एवं आराजी नम्बर 2656 रकबा 14 बिस्वा, रेस्पों. सं. 5 को विक्रय कर दी जिसके नामान्तरकरण क्रमशः 823 एवं 1101 क्रेता के पक्ष में स्वीकृत हुए। रेस्पो. सं. 1 श्रीमती धूली पुत्री श्री रतन जी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा में नामान्तरकरण संख्या 730, 823, 1101 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.2015 से रेस्पो. सं. 1 जो कि स्व. रतन जी की पुत्री है को एक मात्र वारीस मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 730 को निरस्त करने एवं रेस्पो. सं. 1 श्रीमती धुली के नाम भूमि को राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार दर्ज किये जाने के तहसीलदार सीमलवाड़ा को दिये गये। मूल नामान्तरकरण 730 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने से पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 823 एवं 1101 स्वतः ही प्रभाव शून्य होने के आदेश दिये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा दिनांक वकील अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि श्री रतनजी पिता गंगाराम जी कलाल द्वारा सामाजिक रीति रिवाज अनुसार तथा समझौता पत्र अनुसार अपनी भूमि अमृतलाल जिनके कि अपीलान्ट्स वारीस है को अपने जीवनकाल में ही विधि पूर्ण दे दी । रेस्पो. सं. 1 अपने पिता के जीवन काल में विवाह करके ससुराल चली गई और उसका कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। जबकि अपीलान्ट के पिता अमृतलाल के कब्जे में वादग्रस्त भूमि

30 वर्षों से अधिका समय से है और उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। रतन जी रेस्पो. सं. 1 धूली के पिता है उन्होंने एक समझौता पत्र लिखकर दिया और उसी के आधार पर वादग्रस्त वाराजी श्री अमृतलाल के नाम दर्ज हुई। उसके पश्चात् अमृतलाल द्वारा उक्त भूमि में से 3215 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि रेस्पों. सं. 3 व 4 को एवं आराजी नम्बर 2656 रकबा 14 बिस्वा, रेस्पों. सं. 5 को विक्रय कर दी थी। रेस्पों. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 23 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई जो मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण के लिए कहे जाने पर ही ग्राम पंचायत द्वारा अमृतलाल के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया। रेस्पों. सं. 1 धुली 23 वर्ष तक चुपचाप बैठी रही, जिसका अर्थ है कि वह स्वयं भी यह बात जानती थी कि उसके पिता ने वादग्रस्त भूमि अमृतलाल को दी दी थी रेस्पों. सं.1 द्वारा 23 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.2015 में विधिक कमियां रही है। अपीलान्ट का मियाद के बिन्दु पर आक्षेप है, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मियाद के बिन्दु पर ही खारीज किया जाना चाहियें, जो नहीं की जाने की विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 ने अपनी लिखित बहस में बताया कि वह श्री रतन जी की एक मात्र वारीस है। श्री रतन जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी वारीस जायन्दा पुत्री श्रीमती धूली के नाम ही खोला जाना चाहिये था। श्री रतन जी की भूमि पर किसी अन्य का हक व अधिकार नहीं बनता है तथा अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड दस्तावेज से किसी भी पक्षकार को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मौजूदा अपीलान्ट केवल समझौता पत्र (इकरारनामा) के आधार पर अपने नाम म्यूटेशन करवाना चाहता है जिसका कोई हक व अधिकार नहीं है। श्री अमृतलाल के नाम खोला गया नामान्तरकरण ही गलत है तो अमृतलाल द्वारा किया गया विक्रय भी वोईड है एवं विक्रय के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण भी वोईड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का पारित आदेश विधिसम्मत है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीले खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट्स की तीनों अपीले मय खर्चा खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official